


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
दावा संख्या 32 वर्ष 2010
गोपीलाल बनाम मदन वगैरह
दावा बाबत उदघोषणा , दुरुस्ता इन्द्राज व स्थायी निशेधाज्ञा

| तरीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील जारी हुए |
|------------|--|---|
| 31.8.2015 | <p>पत्रावली पेश हुयी । वादी एवं वादी वकील को रूक रूक कर बार बार आवाज लगाई गई। वादी एवं वादी के वकील उपस्थित नही है। अतः वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी उनियारा</p> | |